



जे.पी.आर.5- 827

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005
फोन नं0 - 0141-2747041, फ़ैक्स नं0 - 0141-2744803

ईमेल - se_comml@yahoo.in

क्र0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी-1/एफ.4(392)/प्रे0 2178

जयपुर, दिनांक-30-12-16

आदेश

विषय:- कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुये भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" की अवधि पुनः बढ़ाने बाबत।

कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत रूप से बढ़े हुये भार को नियमित करने हेतु आदेश क्रमांक क्र0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी-1/एफ.4(392)/प्रे0 1168 जयपुर, दिनांक- 07.09.2016 (जेपीआर 5-807) द्वारा "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" प्रसारित की गई थी। यह योजना दिनांक 30 नवम्बर 2016 तक प्रभावी थी एवं इसे आदेश क्रमांक 1834 दिनांक 25.11.2016 (जेपीआर 5-821) द्वारा 31.12.2016 तक बढ़ाया गया था। इस योजना को दिनांक 31.01.2017 तक पुनः बढ़ाया जाता है।

उक्त योजना की सभी शर्तें पूर्व में जारी आदेश के अनुसार ही रहेगी। इसकी सूचना/जानकारी उपभोक्ता को भी दे दी जावे।

आज्ञा से

(के.के. पुरोहित)

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)